न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :— रामसिंह राजावत (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
62 / 2019	03.12.2019	25.01.2021

उनवान

1. प्रभाती पुत्र चन्दगी जाति जाट निवासी जोगावाड तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1. चन्द्रकला पत्नी हरचन्द्र
2. धर्मपाल पुत्र रामकुमवार
3. आशाराम पुत्र रामकुवार जातियान ज़ाट निवासीयान शाहपुरा तहसील बाबल जिला रेवाडी हरि0।
4. नेतराम पुत्र घीसा
5. राकेश पुत्र नेतराम
6. दयाराम पुत्र घीसा
7. देवेन्द्र पुत्र दयाराम जातियान जाट निवासीयान जोगावाड तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थर गढी अर्न्तगत धारा 111 व 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

: निर्णय :—

दिनांक :— 25.01.2021

उपस्थिति :—

1— श्री शशिकान्त शर्मा, वकील प्रार्थी

2— श्री रणवीर सिंह यादव, वकील अप्रार्थी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:04:02 IST
Reason: SelfAttested

1. यह है कि आराजी हाल खसरा, नम्बर 99 रकबा 0.24 है0 [illegible] ग्राम जोगावाड तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 [illegible] की काश्त एवं खातेदारी की आराजी है तथा मिन प्रार्थी के नाम की [illegible] राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज हो रहा है।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

2. यह है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 90 रकबा 0.24 है0 मिन प्रार्थी की कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी है। जिसपर मिन प्रार्थी शांति पूर्वक काबिज होकर काश्त कर रहा है। लेकिन अप्रार्थीगण मूठ, मर्द व लडाका प्रवृति के व्यक्ति है जो मिन प्रार्थी की आराजी के साथ अप्रार्थीगण की आराजी लगने का बेजा फायदा उठाकर धीरे धीरे मिन प्रार्थी की आराजी की डोल को मिस्मार करते हुए प्रार्थी की आराजी में प्रवेश कर लिया है एवं प्रार्थी के मन करने पर हर बार पैमाईश कराकर व पत्थरगढी करा लेने का दिलाशा देकर बात को खत्म कर देते है। तथा धीरे धीरे मिन प्रार्थी की आराजी की डोल को मिसमार कर, भूमि जबरन कब्जा कर लिया है, जब भी मिन प्रार्थी अपनी भूमि को छोडने की अप्रार्थीगण को कहता है। तो अप्रार्थीगण लडाई हो जाते है।

वादीगण के द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि प्रार्थना पत्र मिन प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 90 रकबा 0.24, वाके ग्राम जोगवाड तह0 मुण्डावर की पैमाईश दिनांक 17.06.2019 के अनुसार या आराजी की पुनः पैमाईश करायी जाकर, पैमाईस के अनुसार पत्थरगढी कराये कराये जाने के आदेश दिया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी जवाब पेश नही किया। वादी ने अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में मौका पर्चा दिनांक 28.07.2019, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी सम्वत 2071—74 पेश किये है जो शामिल मिसल है।

प्रार्थी व अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये विवादित आराजी की पूनः पैमाईश कर पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया गया।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किये जाने पर वादीगण के द्वारा खरीदशुद्ध होने जाने की स्थिति प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

—:: आदेश ::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार मुण्डावर को आदेशित किया जाता है कि एक माह में विवादित आराजी की समस्त काश्तकारो की उपस्थिति में पुनः पैमाईश कर नियमानुसार पत्थरगढी की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:04:02 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 25.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/1/21

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0